संख्या-60/871/78-1-2014-78/2009

प्रेषक,

जी0एस0 नवीन कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
श्रीट्रान इण्डिया लि0,
साहिबाबाद, गाजियाबाद।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊ: दिनांक: 18 सितम्बर,2014

विषय: श्रीट्रान इण्डिया लि0 (एस0आई0एल0) साहिबाबाद, गाजियाबाद उ0प्र0 के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की संस्तुतियो के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना के आधार पर वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन तथा अन्य भत्ते की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्रीट्रान इण्डिया लि0 (एस0आई0एल0) साहिबाबाद, गाजियाबाद उ0प्र0 के नियमित एवं पूर्णकालिक कार्मिकों क पुनरीक्षित वेतन संरचना दिनांक 01 जनवरी, 2006 से प्रकल्पित आधार पर पुनरीक्षित मानते हुए सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1105/44-1-2009-77/2009, दिनांक 16 अक्टूबर, 2009 के प्रस्तर-(2)(ख) (प्रति संलग्न) में निहित प्राविधानों के अनुसार वेतनमान पुनरीक्षित करते हुए पुनरीक्षित वेतन संरचना का वास्तविक लाभ तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जो निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी:-

(1) श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड (एस0आई0एल0) के नियमित कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना दिनांक 1.1.2006 से प्रकल्पित आधार पर पुनरीक्षित करते हुए पुनरीक्षित वेतन संरचना का वास्तविक लाभ सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 शासनादेश संख्या-1105/44-1-2009-77/2009, दिनांक 16 अक्टूबर, 2009 के प्रस्तर-(2) (ख) में निहित प्राविधान के अनुरूप दिनांक 01 जनवरी, 2006 से प्रकल्पित आधार पर पुनरीक्षित करते हुए पुनरीक्षित वेतन संरचना का वास्तविक लाभ तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य किया जायेगा।

(2) श्रीट्रान इण्डिया लि0 के कार्मिकों के वेतन पुनरीक्षण पर आने वाले सम्पूर्ण व्यय को श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड द्वारा अपने संसाधनों से वहन किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा इस हेतु उक्त निगम को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी।

http://srasanadesh.up.nic.in

(3) पुनरीक्षित वेतन/भत्तों का वास्तविक लाभ निगम के पूर्णकालिक/नियमित कार्मिकों को ही अनुमन्य होगा।

(4) पुनरीक्षित वेतन/भत्तों का वास्तविक लाभ तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य होगा तथा इसके लिए कोई ऐरियर देय नहीं होगा।

(5) श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड के नियमित कार्मिकों को मकान किराया भत्ता एवं नगर प्रतिकर भत्ते की वही दरें/व्यवस्था अनुमन्य होगी, जो राज्य कर्मचारी को अनुमन्य है। 2- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 की अशा0 पंजी संख्या-ई-6-532./दस-2014, दिनांक 16 सितम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

जी0एस0 नवीन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-60/871(1)/78-1-2014 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार, (लेखापरीक्षा) द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
8- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, आई0टी0 इले0 विभाग, उ0प्र0 शासन।
9- गोपन अनुभाग-1।
10- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-6
11- वित्त वेतन आयोग-1/2 को (तीन प्रतियों में) ।
12- आई0टी0 एवं इले0 अनुभाग-2
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीराम)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in